श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
( केन्द्रीय विश्वविद्यालय )
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

पत्रांक: F.-1/LBSNSU/Guest Faculty/Admin-I/2026-27/865 दिनांक 15.09.2026

# अधिसूचना

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली शैक्षणिक सत्र- 2026-27 के लिए आधुनिक विषयपीठ के अन्तर्गत आधुनिक ज्ञान विभाग (पर्यावरण अध्ययन) हेतु निम्नलिखित सहायक आचार्य (अतिथि) (Guest Faculty) के लिए **Walk-in-Interview** दिनांक 23.09.2026 को पूर्वाह्न **11:30** बजे, कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में सम्पन्न किये जायेंगें, जिसकी अनिवार्य योग्यता निम्नलिखित है:-

| क्रम संख्या | विभाग | सहायक आचार्य ( अतिथि ) संख्या |
|---|---|---|
| 01. | आधुनिक ज्ञान विभाग ( पर्यावरण अध्ययन विषय ) | 01 |

| सहायक आचार्य ( अतिथि ) |
|---|
| **1,500/- रूपये प्रति व्याख्यान तथा अधिकतम 50,000/- रूपये प्रति माह जो भी कम हो देय होगा** |

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अन्तर्गत अतिथि अध्यापकों के लिए वांछनीय योग्यता निम्न प्रकार है:-**

01. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से ***"संबंधित/संगत/संबद्ध"** विषय में 55 प्रतिशत अंक सामान्य श्रेणी में, साथ निष्णात (स्नातकोत्तर) उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाईंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि तथा 50 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (50%)(SC/ST & OBC (Non Creamy layer)

02. उक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा SLET/SET उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग M.Phil/Ph.D उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किये गये संशोधनों,जैसा भी मामला हो, के अनुसार की हो अथवा Ph.D की उपाधि प्रदान की गयी हो, उन्हें NET/SLET/SET से छूट प्रदान की जायेगी :-

बशर्ते:-दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने अध्यधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET/SET की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:-

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो,
(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो,
(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो,
(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो,

पूर्व पृष्ठ से जारी:-

(ङ) अभ्यर्थी ने UGC/ICSSR/CSIR अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो ।

इन शर्तो को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए ।

नोट:- ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए NET/SLET/SET अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिसके लिए वि.अ.आ. /सीएसआईआरद्वाराएनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एनईटी/एसएलईटी आदि आयोजित नहीं की जाती हैं )

अथवा

(ख) विश्व के शीर्षतम 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान (किसी भी समय) से पीएचडी की उपाधि निम्नलिखित में से किसी एक से प्राप्त की गई हो:-

(1) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस)

(2) दि टाइम्स हॉयर एजुकेशन (टीएचई) अथवा

(3) शंघाई जियाओं टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) ।

**नोट: विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका ३क) और महाविद्यालयों के लिए परिशिष्ट II (तालिका ३ख) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा ।**

01. अतिथि अध्यापकों के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाईट **www.slbsrsv.ac.in** से **Download** किया जा सकता है ।

02. योग्य अभियर्थियों को सहायक आचार्य (अतिथि) पद के लिए Walk-in-Interview हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र को भरकर सभी मूल प्रमाण एवं उनकी छायाप्रति के साथ लाना अनिवार्य है ।

03. विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति से पहले किसी भी समय इस नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

04. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने आवेदन में फर्जी/गलत दस्तावेज/प्रमाण-पत्र/दावा या विवरण प्रस्तुत किया है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जा सकती है/नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।

05. सहायक आचार्य (अतिथि) को विभागाध्यक्ष/पीठाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गए शिक्षण और अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा, जिसकी समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा ।

07. सहायक आचार्य (अतिथि) की नियुक्ति शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए है, जिसे नियंत्रण अधिकारी की एपीआई रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

08. सहायक आचार्य (अतिथि) को किसी प्रकार का भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश इत्यादि देय नहीं होगा ।

09. इस अधिसूचना में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे नियमानुसार संशोधित किया जाएगा ।

शिवशंकर महापात्र
कुलसचिव (प्रभारी)
15-9-2026

प्रतिलिपि:-

01. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।
02. विश्वविद्यालय के सभी सूचना पट्ट
03. समस्त पीठाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
04. सहायक कुलससचिव (कुलपति कार्यालय)
05. कुलसचिव के निजी सचिव
06. संबंधित पत्रावली

बिष्णुपद महापात्र
कुलसचिव ( प्रभारी )
15-9-2026